रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2013/चैत्र 27, 1935
No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2013/CHAITRA 27, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2013

सा.का.नि.—243(अ). केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन लोगों को सूचना के लिए, जिनका उसके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, प्रस्ताव करती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. किसी भी आक्षेप या सुझाव पर, जो किसी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन) भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001 को भेजा जा सकेगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

(अ) नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (ii) में 'सारणी: डीजल यान' में 'परीक्षण पद्धति' शीर्षक के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" मुक्त त्वरण परीक्षण यान के पर्याप्त रूप से गर्म इंजन पर नियम 116 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित प्रकार के मीटर का उपयोग करके किया जाएगा । प्रत्येक मुक्त त्वरण के दौरान हुई अधिकतम भाररहित गति तिपहिया यानों के संबंध में औसत मूल्य के ± 500 आरपीएम के बैंड विस्तार के भीतर होगी और अन्य सभी वर्ग के यानों के लिए औसत मूल्य की ± 300 आरपीएम के भीतर होगी । मुक्त त्वरण परीक्षण को कम से कम तीन बार दोहराया जाएगा । अभिलिखित किया जाने वाला धूम्र घनत्व इन तीनों पठनों का समान्तर माध्य होगा । यदि अभिलिखित धूम्र घनत्व सीमाओं के भीतर नहीं है तो परीक्षण यान के पूर्णतः गर्म इंजन, उदाहरणार्थ 60^0 सी. पर तेल स्तर तरल पदार्थ मापक छड़ी से जांच द्वारा मापित इंजन तेल तापमान पर दोहराया जा सकेगा । बीएस-IV यान पर परीक्षण प्रारंभ करने से पहले ओबीडीएमआईएल दीप संकेत के लिए इसकी जांच की जाएगी । यदि एमआईएल दीप ऑन है तो परीक्षण नहीं किया जाएगा और यान के स्वामी को यान को उसकी मरम्मत या सर्विस के पश्चात् पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी ।"

(आ) नियम 115आ में ,- (क) उपनियम अ के खंड (II) के उपखंड (क) में पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए इन नियमों के अधीन लागू रूप में भारत स्टेज II प्रमाप में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान प्रकार का अनुमोदन प्रमाप ।"

(ख) उपनियम 115आ के खंड (II) के उपखंड (ग) में पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

" (ii) 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए इन नियमों के अधीन लागू रूप में भारत स्टेज II प्रमाप में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान प्रकार का अनुमोदन प्रमाप ।"

(इ) नियम 115इ के उपनियम (3) के खंड (क) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

" (ii) 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए इन नियमों के अधीन लागू रूप में भारत स्टेज II प्रमाप में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान प्रकार का अनुमोदन प्रमाप ।"

[फा. सं. आरटी-11028/13/2012-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल नियम सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 3026 (अ) तारीख 28 दिसंबर, 2012 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2013

G.S.R. 243 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

3. Objection and suggestion, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110 001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2013.

(2) Save as otherwise provided, the rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred to as the said rules), -

(A) in rule 115, in sub-rule (2) in clause (ii), in the 'TABLE: DIESEL VEHICLES' for the entry under the heading 'Method of Test' the following shall be substituted namely:-

"The free acceleration test shall be carried out using the meter of the type approved under sub-rule (3) of rule 116 with the vehicle engine sufficiently warmed. During each free acceleration, maximum no-load speed reached shall be within the bandwidth of ±500 rpm of the average value in respect of 3-wheeler vehicles and ±300 rpm of the average value for all other categories of vehicles. The free acceleration test shall be repeated minimum three times. The smoke density to be recorded shall be arithmetic mean of these three readings. In case the smoke density recorded is not within the limits then the test may be repeated with vehicle engine fully warmed up for instance the engine oil temperature measured by a probe in the oil level dipstick tube to be at least 60º C. Before initiating the test on BS-IV vehicle, it shall be checked for OBD MIL lamp indication. If MIL lamp is ON, the test shall not be carried out and the vehicle owner shall be advised to re-submit the vehicle after the same is repaired or serviced."

(B) in rule 115B,-(a) in sub-rule A, in clause (II), in sub-clause (a) for paragraph (ii) the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(ii) for the vehicles manufactured on and after 1st April, 2000, the prevailing type approval norms as specified in the Bharat Stage II norms, as applicable under these rules."

(b) in sub-rule 115-B, sub-rule B, clause II, in sub-clause (c), for paragraph (ii) the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(ii) for the vehicles manufactured on and after 1st April, 2000, the prevailing type approval norms as specified in the Bharat Stage II norms, as applicable under these rules."

(C) in rule 115C, in sub-rule (3), in clause (a) for sub-clause (ii) the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(ii) for the vehicles manufactured on and after 1st April, 2000, the prevailing type approval norms as specified in the Bharat Stage II norms, as applicable under these rules".

[F. No. RT-11028/13/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 3026(E), dated the 28th December, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054